न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव
(पीठासीन अधिकारी श्री महावीरसिंह जोधा, RAS)

राजस्व आवेदन संख्या **14 / 2023**

अन्तर्गत धारा 136 RLR Act.

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
छोटूसिंह पुत्र गेमरसिंह जाति राजपुत, निवासी बलाई तहसील शिव, जिला बाड़मेर		तहसीलदार शिव

उपस्थित :– 1. अधिवक्ता प्रार्थीगण :– ईश्वरसिंह भाटी।
2. विप्रार्थी :– तहसीलदार शिव।

–:: आदेश ::–

दिनांक : 15.02.2023

प्रार्थीगण के आवेदन पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि प्रार्थी एवं अन्य सहखातेदारान् की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 298/42, 340/123 रकबा क्रमशः 5.0343, 11.4364 हैक्टेयर मौजा जोधसिंह का गांव, पटवार मण्डल बीसुकला, तहसील शिव में स्थित है। उक्त भूमि प्रार्थी को उनके पिता गेमरसिंह पुत्र खुशालसिंह के फौत होन पर विरासत में प्राप्त हुई है। उक्त विरासत का नामांतरकरण भरते समय हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थी का बचपन का घरेलु लाड प्यार का नाम गणेशसिंह दर्ज कर दिया गया, जबकि प्रार्थी का सही एंव वास्तविक नाम छोटूसिंह पुत्र गेमरसिंह है। प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेज यथा आधार कार्ड, राशनकार्ड, बैंक डायरी आदि सभी में प्रार्थी का नाम छोटूसिंह पुत्र गेमरसिंह दर्ज है। प्रार्थी द्वारा कुछ समय पहले बैंक से कृषि ऋण लेने हेतु बैंक शाखा से सम्पर्क करने पर वहां पर जानकारी दी गई की राजस्व रेकर्ड में आपके पिता का नाम अलग होने से आपको कृषि ऋण नहीं मिलेगा। इस पर पटवारी से संपर्क किया तो हल्का पटवारी द्वारा वल्दियत दुरस्त करवाने बाबत् सलाह दी गई। चूंकि प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम छोटूसिंह होने तथा राजस्व रेकर्ड में छोटूसिंह के स्थान पर गणेशसिंह दर्ज होने से प्रार्थी विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से भी वंचित रह जाने एवं भूमि का विकास कार्य नहीं करवा पाने के कारण प्रार्थी द्वारा यह आवेदन प्रार्थी की खातेदारी भूमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम गणेशसिंह पुत्र गेमरसिंह स्थान पर छोटूसिंह पुत्र गेमरसिंह दुरस्त करवाने बाबत् पेश किया गया है।

आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर किया जांकर विप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तलबी की गई। विप्रार्थी तहसीलदार शिव द्वारा जवाब पेश कर प्रार्थी का राजस्व रेकर्ड में दर्ज नाम गणेशसिंह के स्थान पर छोटूसिंह किये जाने में सहमति प्रदान की गई है। स्वतंत्र गवाहान जुंझारसिंह व मदनसिंह द्वारा भी उक्त प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम छोटूसिंह होना बताया गया है।

प्रार्थी छोटूसिंह द्वारा अपने आवेदन के समर्थन में 50 स[illegible] ज्यूडिशियल स्टाम्प पेश किया गया। स्वतंत्र गवाह जुंझारसिंह पुत्र [illegible] व मदनसिंह [illegible] भी आवेदन के समर्थन में बयान गवाह शपथ पत्र पेश किया गया है। हल्का [illegible]वारी की रिपोर्ट अनुसार भी प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम छोटूसिंह [illegible] गेमरसिंह होना बताया गया है, जबकि प्रार्थी के राजस्व रेकर्ड में गणेशसिंह पुत्र गेमरसिंह दर्ज है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने आवेदन के समर्थन में विवादित भूमि की जमाबंदिया एवं नक्शा ट्रेस व विरासती नामांतरकरण प्रस्तुत किया।

उपखण्ड अधिकारी
शिव (जिला बाड़मेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahaveer Singh Jodha
Date: 2023.03.09 16:43:13 IST
Reason: SelfAttested

दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि विवादित आराजी के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम गणेशसिंह पिता गेमरसिंह दर्ज होने से प्रार्थी को अपने हिस्से की भूमि का विकास एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। अतः विवादित आराजी के राजस्व रेकर्ड में वादी का सही नाम छोटूसिंह पुत्र गेमरसिंह दर्ज करने का आदेश पारित किया जावें।

विप्रार्थी तहसीलदार शिव ने भी आवेदन के तथ्यों का समर्थन करते हुए विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम दुरस्त किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की।

हमने दोनों पक्षों को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा उक्त आवेदन राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के नाम गणेशसिंह के स्थान पर छोटूसिंह दुरस्त करने का पेश किया है। उक्त आवेदन के संबंध में तहसीलदार शिव एवं हल्का पटवारी रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की खातेदारी में प्रार्थी का नाम गणेशसिंह पुत्र गेमरसिंह के स्थान पर छोटूसिंह पुत्र गेमरसिंह किया जाना उचित बताया गया है तथा उक्त दोनों नाम का एक ही व्यक्ति होना बताया गया है। प्रार्थी द्वारा अपने आवेदन के साथ पेश विभिन्न दस्तावेज यथा आधारकार्ड, राशनकार्ड, शपथपत्र आदि के अवलोकन से भी प्रार्थी का सही नाम छोटूसिंह पुत्र गेमरसिंह होना पाया गया है। स्वतंत्र गवाहान द्वारा भी उक्त नाम दुरस्ती को उचित बताया गया है। यदि प्रार्थी का नाम दुरस्त नहीं किया जाता है तो प्रार्थी को विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं से महरूम रहना पड़ सकता है। अतः ऐसी सूरत में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नाम दुरस्ती के आवेदन को स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम जोधसिंह का गांव, तहसील शिव के खसरा नम्बर 298 / 42, 340 / 123 रकबा क्रमशः 5.0343, 11.4364 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रेकर्ड में शेष समस्त प्रविष्टियां यथावत रखते हुए प्रार्थी का नाम गणेशसिंह पुत्र गेमरसिंह के स्थान पर छोटूसिंह पुत्र गेमरसिंह दुरस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार शिव को तदनुसार दुरस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी शिव (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahaveer Singh Jodha
Date: 2023.03.09 16:43:13 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
शिव (जिला बाड़मेर)

आदेश आज दिनांक 15.02.2023 को खुले इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
शिव (जिला बाड़मेर)